

No.


कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा



श्री अम विरला

माननीय अध्यक्ष, लोक सभा
भारत

आवेदन पुस्तिका



श्री सागर सिंह खर्रा

माननीय नगरीय विकास,
स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री,
राज. सरकार



श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार

रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना)

कुल भूखण्ड

131

कोटा विकास प्राधिकरण

आवेदन पत्र

विक्रय प्रारम्भ
की दिनांक

1 जनवरी
2025

जमा करने की
अंतिम दिनांक

31 जनवरी
2025

RERA
REG.NO.

RAJ/P/2024/
3446

RERA
BARCODE



500/-

आवेदन पत्र के साथ

1. योजना में आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र (पुस्तिका) बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण फार्म निर्धारित पंजीयन राशि एवं प्रक्रिया शुल्क सहित जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/RTGS कोटा विकास प्राधिकरण, रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना) के नाम से आवेदन पुस्तिका में अंकित बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा किये जा सकते हैं।
2. आवेदन पत्र के साथ जमा होने वाले दस्तावेज :-
 1. आधार कार्ड (स्वप्रमाणित प्रति) एवं पेन कार्ड की (स्वप्रमाणित प्रति)
 2. आवेदक अपने खाते का कैंसिल चैक CTS 2010 अथवा पास बुक की प्रति संलग्न करें
 3. निवास प्रमाण पत्र 4. स्व घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप के साथ) 5. आय प्रमाण पत्र
 6. आरक्षित श्रेणी प्रमाण पत्र 7. पंजीयन एवं प्रक्रिया शुल्क बैंक ड्राफ्ट मय छाया प्रति
 8. सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्ड हेतु प्रारूपानुसार 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र

RAMNAGAR SPECIAL (AAWASIYA YOJNA)

Bank Name: BANK OF INDIA

**KOTA DEVELOPMENT AUTHORITY
RAMNAGAR SPECIAL COLLECTION A/C**

A/C No. 662122410000003

IFSC CODE - BKID0006621

बैंक ऑफ इण्डिया की कोटा शहर में स्थित शाखाएँ, जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त एवं जमा किये जा सकते हैं :-

- | | |
|--|---|
| ■ Aerodorme Circle Kota | ■ MPA-44, Mahaveer Nagar II, Rangbari Main Road Kota. |
| ■ Opp. Nayapura Police Station Main Road, Nayapura Kota. | ■ Rampura Bazar, Kota City Post Office Kota |
| ■ Manpura Borkheda, Kota | ■ Kota District Court Campus, Kota |
| ■ Ramganjmandi, Kota | ■ Doongarja, Degodh Kota |
| ■ Mansgaon, Tehsil Ladpura Kota | ■ Kotra Deep Singh, Kota |

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

हर परिवार का सपना,
सुन्दर सहज घर हो अपना

शहर वासियों के सपनों में रंग भरने के लिए कोटा विकास प्राधिकरण सदैव प्रयासरत रहा है।

इसी क्रम में कोटा विकास प्राधिकरण लाया है अपनी रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना) कोटा। इस योजना में 131 भूखण्डों का एक साथ लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने का निर्णय लिया गया है।

योजना का विस्तृत विवरण आवेदन पुस्तिका में अंकित है। आम जनता से अनुरोध है कि आवेदन पुस्तिका का अध्ययन कर अधिकतम संख्या में आवेदन करें व योजना का लाभ उठावें।

शुभकामनाओं सहित।

सचिव,
कोटा विकास प्राधिकरण,

आयुक्त,
कोटा विकास प्राधिकरण,

अध्यक्ष,
कोटा विकास प्राधिकरण,

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना)

योजना स्थल विशेषताएं :-

1. रामनगर से न्यू एयरपोर्ट लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
2. रामनगर स्पेशल से चम्बल रिवर फ्रंट लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
3. रामनगर स्पेशल से एन.आर.एच.एम. हॉस्पिटल लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
4. रामनगर स्पेशल से कोचिंग हब कुन्हाड़ी लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
5. रामनगर स्पेशल से बस स्टैण्ड 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
6. रामनगर स्पेशल से रेलवे स्टेशन लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

भूखण्डों की संख्या, साईज/क्षेत्रफल, अनुमानित कीमत, पंजीयन राशि आदि का विवरण

रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना)

| क्र.सं. | श्रेणी | भूखण्डों की संख्या | भूखण्डों की माप (मीटर में) | क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | क्षेत्रफल (वर्गफीट) | अनुमानित कीमत | पंजीयन राशि | पात्रता हेतु आय वर्ग |
|------------|--------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------|----------------------|
| 1. | EWS | Block- A एवं Block- B 122 | 4.5 X 9 | 40.5 | 435.78 | 457569/- | 45000/- | Up to 3 लाख |
| 2. | MIG-A | 9 | 7.5 X 15 | 112.5 | 1210.50 | 25,42,050/- | 254000/- | 6 से 12 लाख |
| कुल भूखण्ड | | 131 | | | | | | |

कॉर्नर भूखण्ड के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देय होगी

योजना में पंजीयन राशि के साथ 2000/-रु. प्रक्रिया शुल्क राशि जमा होगी ,जो अदेय (Non Refundable) है।

योजना का विवरण :-

रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना) में 131 आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु निर्धारित किये गये हैं। भूखण्डों की संख्या मांग एवं उपलब्धता के आधार पर घटाई-बढ़ाई जा सकती है। उक्त योजना में कॉर्नर भूखण्ड होने की स्थिति में 10 % अतिरिक्त चार्ज देय होगा। इन भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा।

आवेदन पत्र प्राप्ति एवं जमा निर्देश :-

1. आवेदन पत्र बैंक ऑफ इण्डिया, कोटा के किसी भी शाखा से 500/- रूपए शुल्क जमा कर निर्धारित अवधि में प्राप्त एवं जमा किया जा सकता है।
2. आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रकार से प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि कोटा विकास प्राधिकरण, रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना) के नाम से देय डी.डी./ई.सी.एस. द्वारा जमा किया जा सकता है।
3. डी.डी./पे ऑर्डर/ईसीएस स्लिप के पीछे आवेदक अपना नाम, चालान/आवेदन पत्र संख्या एवं मोबाईल नम्बर अवश्य अंकित करें।
4. योजना में सफल आवेदकों द्वारा जमा करवाया गया प्रक्रिया शुल्क भूखण्ड की लागत में शामिल नहीं होगा एवं न ही लौटाया जावेगा। पंजीकरण राशि को भूखण्ड की लागत में समायोजित कर लिया जावेगा। पंजीकरण राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
5. असफल आवेदकों को जमा प्रक्रिया शुल्क नहीं लौटाया जावेगा, केवल पंजीकरण राशि लौटायी जायेगी।
6. आवंटन के समय उपलब्धता के अनुसार भूखण्डों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

5. आवेदक की पात्रता :-

1. राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा इस योजना के अंतर्गत भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/मतदाता कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें आवेदक का नाम व पता अंकित हो, संलग्न करें।
2. भूखण्ड आवंटन के लिये आवेदक का कोटा एवं राजस्थान के किसी भी शहर (जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक हो) में स्वयं का अथवा परिवार के किसी आश्रित सदस्य का आंशिक अथवा पूर्ण अधिकृत लीज या फ्री होल्ड आधार पर भूखण्ड नहीं होना चाहिए। इस हेतु स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।
3. आवेदक की आयु, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
4. आरक्षण हेतु संबंधित वर्ग का वांछित प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें।
5. आवेदक नियमित आय स्व घोषणा पत्र में अंकित करें।
6. नौकरी की स्थिति में कार्यालय/संस्था प्रधान का मूल प्रमाण पत्र संलग्न करें। व्यवसाय करने की स्थिति में व्यवसाय का नाम एवं पता अंकित करें।

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका के द्वितीय पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक ऑफ इण्डिया की कोटा शहर में स्थित किसी भी शाखा के माध्यम से प्राप्त कर अंतिम दिनांक तक उक्त बैंक में जमा करवाये जा सकते हैं।
2. आवेदन पत्र में निर्धारित प्रारूप में समस्त जानकारियां शुद्ध हिन्दी/अंग्रेजी में एवं स्पष्ट अक्षरों में लिखा जावे।
3. आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर तथा निर्धारित कॉलम में आवेदक के नाम का बैंक खाता संख्या एवं बैंक का विवरण अवश्य लिखें।
4. आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का स्व प्रमाणित फोटो लगावे।
5. आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् पते में परिवर्तन के आलावा कोई अन्य परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
6. आवेदन पत्र के समस्त कॉलमों की पूर्ति करें जो कॉलम लागू होता हो उसे स्पष्ट रूप से सही (✓) का चिन्ह अंकित करें।
7. आरक्षित वर्ग हेतु निर्धारित कॉलम में अपनी श्रेणी स्पष्ट रूप से अंकित करें।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज :-

1. पंजीयन राशि एवं प्रक्रिया शुल्क का बैंक ड्राफ्ट छायाप्रति सहित
2. बैंक खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति/कैंसिल चैक
3. स्व घोषणा पत्र
4. आय प्रमाण पत्र
5. आधार कार्ड/फोटो पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स
6. पेन कार्ड की प्रति
7. राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र
8. आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी/राज्य कर्म./भू.सै./पत्रकार/विकलांग इत्यादि)में आवेदन हेतु नियत प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें।
9. सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ट-V के प्रारूपानुसार 50/- रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त घोषणा पत्र।

विशेष अनुदेश :-

1. आवेदक अपने खाते का एक कैंसिल्ड चैक (cancelled cheque CTS 2010) अथवा बैंक पास बुक प्रति संलग्न करें, जिसमें बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code हो।
2. आवेदक अपना मोबाईल नं०, ई-मेल आईडी (यदि कोई हो) अवश्य दे।
3. आवेदक का रिहायशी पता दिया जाना आवश्यक है।
4. पत्राचार के लिए पत्र व्यवहार का पता पिन कोड सहित उल्लेख करें।
5. पंजीकरण राशि मय प्रक्रिया शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट कोटा विकास प्राधिकरण रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना) के पक्ष में देय होना चाहिए।

अथवा

पंजीकरण राशि मय प्रक्रिया शुल्क RTGS के माध्यम से (चालान फार्म में उल्लेखित विवरण के अनुसार) जमा करते हुये आवेदन पत्र मय चालान (UTR No. का उल्लेख करते हुए) आवेदन पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के पीछे उल्लेखित बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में जमा कराया जा सकेगा।

सामान्य शर्तें :-

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से रू. 500/- भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं एवं भरे हुए आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में बैंक में जमा किये जा सकेंगे।
2. योजना में भूखण्ड के लिए आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क 2000/- एवं निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ आवेदन पत्र निर्धारित बैंक में जमा कराना होगा। कुल पंजीयन राशि एक मुश्त जमा करानी होगी।
3. राज्य सरकार एवं कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/नियम योजना के भूखण्ड आवंटन पर भी लागू होंगे।
4. आवेदनकर्ता को आवेदन में मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य है।
5. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम हो या बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही एवं खाता चालू स्थिति में हो। असफल आवेदक का बैंक खाता सही नहीं होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर KDA की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. संयुक्त नाम से आवेदन मान्य नहीं है लेकिन संयुक्त नाम के खाते में प्रथम नाम के आवेदक के आवेदन को मान्य किया जा सकेगा।
7. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड आवेदक के बैंक खाते में किया जाएगा।
8. लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र में मोबाईल नम्बर, नाम एवं आय गुप/वरीयता में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र देने पर पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत राशि की कटौति करते हुए शेष राशि लौटाई जाएगी।

9. लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित सम्पूर्ण राशि आवंटन -मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में बैंक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS/NEFT द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना) के नाम से कोटा शहर स्थित बैंक ऑफ इण्डिया में (आवेदन पुस्तिका में दी गई किसी भी बैंक शाखा में) संबंधित योजना के खाते में शेष सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी।
10. भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा होने के बाद लीज डीड आवश्यक रूप से निष्पादित करानी होगी।
11. आवंटित भूखण्ड का हस्तानान्तरण आवंटन तिथि से 5 वर्ष तक प्रचलित आरक्षित दर की 10 प्रतिशत शास्ति लेकर तथा 5 वर्ष पश्चात् 10 वर्ष तक प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत शास्ति वसूल कर नियमानुसार विक्रय की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।
12. भूखण्ड का कब्जा प्राधिकरण द्वारा, कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस में संबंधित कनिष्ठ अभियंता से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
13. आवंटन में राजस्थान नगरीय सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम-1974 के प्रावधान एवं समय-समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश प्रभावी होंगे।
14. "आवंटित भूखण्ड केवल "आवासीय" उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। भूखण्ड का विभाजन/पुनर्गठन प्रचलित "भवन विनियम" के प्रावधानानुसार मान्य होगा।
15. राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा, निर्धारित आवंटन की शर्तें आवेदक को मान्य होगी।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, कोटा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।
17. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार कोटा ही होगा।

आवेदक की सकल वार्षिक आय एवं वर्ग :-

1. आवेदक के स्वयं/परिवार की सकल वार्षिक आय (पति,पत्नि एवं आश्रितों की कुल आय) मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की गणना आवेदक द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र के आधार पर की जावेगी।

भूखण्डों में विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण :

1. आवेदक आवेदन की पात्रता के अनुरूप निम्नलिखित में से किसी एक निर्धारित आरक्षित श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है :-

| केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी | अनु. जनजाति | अनु. जाति | ट्रांसजेण्डर व्यक्ति | अधीस्वीकृत पत्रकार | सैनिक/अर्द्धसैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है) | | | सामान्य श्रेणी |
|--|-------------|-----------|----------------------|--------------------|---|----------------------|------------------|----------------|
| 10% | 6% | 9% | 2% | 2% | 10% | | | 61% |
| | | | | | शहीद सैनिक की विधवा एवं आश्रित (अ) | 'सैनिक विकलांग (ब) | अन्य सैनिक (स) | |

कुल (आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के) भूखण्डों के 5 प्रतिशत शारीरिक दिव्यांग के लिए तथा 10 प्रतिशत बेसहारा भूमिहीन एकल महिलाओं के लिए होगा।

नगरीय विकास एवं आवासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ. 17(22)नविवि/नियम /2020 जयपुर दिनांक 04.01.2021 के अनुसार आवंटन के समय आरक्षित भूखण्डों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है :-

- (i) EWS आय वर्ग के आवेदकों की सकल वार्षिक आय रू. 3,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक मान्य नहीं होगी।

(ii) MIG-A आय वर्ग के आवेदकों की सकल वार्षिक आय 6,00,001 से 12,00,000/- तक ही मान्य होगी ।

(iii) निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिला की सकल वार्षिक आय रू. 80,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण श्रेणी के आरक्षण का निर्धारण प्रतिशत के आधार पर पूर्ण भूखण्ड को ध्यान में रखते हुए किया गया है । किसी भी आरक्षित वर्ग में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर, उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के, उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जाएगा ।
3. राजस्थान सरकार/राज्य के स्थानीय निकायों एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को अपने नियोजक/कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण पत्र एवं पे-स्लिप प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
4. राजस्थान की अनु.जाति/अनु. जनजाति के आवेदकों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
5. दिव्यांगजन (विकलांग) व्यक्तियों को राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।
6. अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अधिस्वीकृत पत्रकार का प्रमाण पत्र मान्य होगा ।
7. सैनिक वर्ग में भारत की थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आई.सी.एस. एफ. एवं सी.आर.पी.एफ. अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नि/पुत्र एवं उस पर आश्रित सम्मिलित है ।
8. आवेदक, जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है, उस परिवार से मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है ।

9. सैनिक वर्ग में आरक्षित भूखण्डों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में, उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा।
10. सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./केडीए की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य सैनिक के आरक्षित कोटे के भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
11. अन्य सैनिक (कार्यरत/सेवानिवृत्त) के परिवार से परिवार का केवल एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।
12. सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्ड हेतु आवेदक को परिशिष्ट-V के प्रारूपानुसार 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
13. सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी सम्मिलित है) के लिए आरक्षित भूखण्डों का आवंटन निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा :-
 - (अ) उन सैनिकों (आर्मी, बी.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.) की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुए हुई हो।
 - (ब) विकलांग सैनिक (आर्मी, बी.एस.एफ. सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.)
 - (स) अन्य सैनिक (आर्मी, बी.एस.एफ. सी.आई.एस.एफ. एवं सी.आर.पी.एफ.)
 उपर्युक्त के लिए सम्बन्धित श्रेणी का प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

भूखण्ड की आवंटन प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्रों की समीक्षा /परीक्षण उपरान्त पंजीयन राशि मय प्रक्रिया शुल्क जमा कराने के आधार पर पात्रता के सत्यापन पश्चात् लॉटरी द्वारा पात्र आवेदकों को भूखण्ड आवंटन किया जायेगा।
2. सफल आवेदकों को भूखण्ड की कीमत जमा कराने हेतु आवंटन पत्र/मांग पत्र जारी किया जायेगा। निर्धारित अवधि में डिमाण्ड राशि जमा नहीं कराने पर असमर्थ रहे डिफाल्टर आवेदकों को निरस्त की श्रेणी में माना जावेगा।
3. लॉटरी में असफल आवंटियों को प्रक्रिया शुल्क काटकर पंजीकरण राशि बिना ब्याज लौटा दी जावेगी।
4. आवंटन पत्र डाक द्वारा/शिविर आयोजित करके वितरित किये जावेंगे।

12. आवंटित भूखण्ड की लागत का भुगतान :-

1. सफल आवेदकों को पंजीकरण राशि समायोजन के पश्चात् भूखण्ड की लागत की शेष देय राशि आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस की अवधि में एक मुश्त जमा करवानी होगी। तत्पश्चात् आवंटी नियमानुसार अगले 60 दिन तक अर्थात् आवंटन पत्र जारी करने के दिनांक से 90 दिवस में नियमानुसार राशि ब्याज सहित राशि जमा करा सकेगा। आवंटन पत्र की तिथि से 90 दिवस में राशि मय ब्याज जमा नहीं होने पर आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा जमा पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी।
2. आवेदन पत्र के साथ जमा पंजीकरण राशि बिना ब्याज भूखण्ड की कीमत में समायोजित कर ली जावेगी शेष भुगतान योग्य राशि नियमानुसार स्थानीय डी.डी./RTGS से जमा कराई जा सकेगी। निर्धारित तिथि तक केडीए खाते में राशि जमा कराने का दायित्व स्वयं आवंटी का होगा।
3. समस्त ड्राफ्ट/RTGS, कोटा विकास प्राधिकरण रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना) के नाम से जमा कराई जा सकती है। स्थानीय डीडी/पे ऑर्डर के पीछे आवेदक का नाम, फार्म संख्या एवं श्रेणी आवश्यक रूप से अंकित करें।

आवेदन फार्म वापस लेने की विधि :-

- (1) प्राधिकरण में जमा आवेदन वापस लेने पर पंजीकरण राशि का रिफण्ड :- लॉटरी से पूर्व आवेदन वापस लेने पर जमा पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत राशि की कटौति करते हुए शेष राशि रिफण्ड की जाएगी।
- (2) एक परिवार (पति, पत्नि एवं आश्रित) द्वारा एक से अधिक भूखण्डों हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी में एक से अधिक भूखण्ड निकलने पर परिवार को एक ही भूखण्ड आवंटित किया जाएगा। शेष भूखण्डों की जमा पंजीकरण राशि लौटा दी जाएगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दी जाएगी।

असफल आवेदकों की पंजीकरण राशि की वापसी :-

1. लॉटरी में असफल आवेदकों की पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑन लाईन आवेदक पुस्तिका में उल्लेखित बैंक द्वारा वापस की जाएगी। संबंधित बैंक, असफल आवेदकों को धन वापसी के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें किसी प्रकार की हानि के मामले में जिम्मेदारी सम्बन्धित बैंक की होगी।
2. असफल आवेदकों को पंजीयन राशि का भुगतान नियमानुसार समय अवधि के अंतर्गत भुगतान कर दिया जावेगा जिस पर कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. आवेदक द्वारा गलत IFSC कोड, बैंक खाता एवं खाते के नाम के कारण पंजीयन राशि लौटाएं जाने में विलम्ब होने पर, प्राधिकरण द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4. सफल आवेदक द्वारा भूखण्ड पर ऋण चाहने पर केडीए द्वारा बैंक/सरकारी वित्तीय संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर दिया जावेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये आवंटी को संबंधित बैंक/सरकारी वित्तीय संस्था का पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अन्य महत्वपूर्ण नियम एवं शर्ते :-

1. आय वर्ग अनुसार परिवार में पति-पत्नि एवं आश्रित में से कोई एक आवेदक ही भूखण्ड आवंटन की पात्रता रखेगा। यदि पति-पत्नि दोनों को ही भूखण्ड आवंटन हो गया तो एक आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
2. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होगी। अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
4. भूखण्ड में पट्टाधारिता अधिकारों का आवंटन लॉटरी पद्धति के अनुसार राजस्थान नगर भूमि निस्तारण नियम 1974/राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निर्वर्तन) (संशोधन) नियम 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत 99 वर्षीय पट्टेदारी लीज के आधार पर किया जावेगा।
5. लॉटरी आम जनता के समक्ष निकाली जायेगी, जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवायी जावेगी। लॉटरी निकाले जाने के पूर्व पूर्ण/अपूर्ण आवेदकों की सूची प्राधिकरण के सूचना पट्ट पर चस्पा की जावेगी। अपूर्ण आवेदनों को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
6. लॉटरी आम जनता के समक्ष निकाली जायेगी, जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवायी जावेगी। लॉटरी निकाले जाने के पूर्व पूर्ण/अपूर्ण आवेदकों की सूची प्राधिकरण के सूचना पट्ट पर चस्पा की जावेगी। अपूर्ण आवेदनों को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

स्व घोषणा पत्र
(समस्त आवेदकों के लिए)

स्व प्रमाणित
फोटो

मैंपुत्र/पत्नि/पुत्री
..... आयु.....निवासी

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि मेरी सकल वार्षिक आय है।

- (1) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग के अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जाएंगे मैं पेश कर दूंगा/कर दूंगी।
- (2) यह कि मैंने सामान्य/आरक्षित श्रेणी (केन्द्र/राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु. जाति/अनु.जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार) में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जाएंगे, मैं प्रस्तुत कर दूंगा/कर दूंगी।
- (3) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।
- (4) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षों में कोई भूखण्ड/प्लॉट/मकान मेरे (स्वयंपति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम) आवंटित नहीं हुआ है।

दिनांक:

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी से और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....
पुत्र/पत्नि/पुत्रीजाति..... आयु.....निवासी
.....तहसील.....जिला.....राज्य.....
..... की स्वयं, पति/पत्नि एवं आश्रित की सकल वार्षिक आय रु.....
अक्षरे रूपएप्रतिवर्ष है एवं मेरा पैन (Permanenet
Account Number)..... है।

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी से और विश्वास के
अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS)
के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण पत्र (निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....

पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री.....इस कम्पनी /फर्म में

पद पर कार्यरत है। इनकी सकल वार्षिक आय रु.....प्रतिवर्ष है।

कम्पनी/फर्म प्रमाणितकर्ता
के हस्ताक्षर मय मोहर

दिनांक :

स्थान :

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्रीशपथ

पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी से और विश्वास के अनुसार सही है।

गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....

पुत्र/पत्नि/पुत्री श्रीइस विभाग मेंपद पर

कार्यरत है एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के उपक्रम का नियमित कर्मचारी है।

इनकी सकल वार्षिक आय रु.....प्रतिवर्ष है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम का नाम

दिनांक :

स्थान :

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण -पत्र

परिशिष्ट-III

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....
पुत्र/पत्नि/पुत्री निवासी
..... जिला..... सम्भाग..... राज्य.....
जाति के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत
राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल हैं ।

हस्ताक्षर

तहसीलदार

(कार्यालय की मोहर सहित)
उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

सैनिक /सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु
(आय प्रमाण-पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

परिशिष्ट-IV

यह प्रमाणित किया जाता है कि
(रैंक) (नाम)
(नम्बर)

- (अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु/सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/
सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत है। इनकी मासिक आय रू..... प्रतिमाह है।
- (ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत्त हुए तथा सेवानिवृत्ति के समय इनकी वार्षिक आय
रू..... प्रतिवर्ष थी।
- (स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गई थी। इनकी विधवा श्रीमती/सुश्री.....
है। इनकी पति की मृत्यु के समय मासिक आय रू..... प्रतिमाह थी। इन्होंने
अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

स्थान :

दिनांक :

कमान्डिंग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी/सचिव,
सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक
सहित स्वप्रमाणित प्रति

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु ।

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री
आयु निवासी.....
.....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि

- (1) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी भी सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।
- (2) यह कि मेरे पिता/पति सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व. पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमती/.....
..... ने एवम् हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डों में से कोई भूखण्ड आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी से और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।)
कोटे हेतु आरक्षित भूखण्डों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर,
सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री
आयु निवासी.....
.....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि

- (1) यह कि मैं सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्डों के आवंटन की पात्रता रखता हूँ।
- (2) यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित भूखण्ड आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन /प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (3) यह है कि उक्त श्रेणी में आरक्षित भूखण्डों हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरी/मेरा पत्नि/पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती कुमारी..... द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र /प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत/प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।
- (4) यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी से और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

विशेष योग्य जन प्रमाण -पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....
 पुत्र/पत्नि/पुत्रीनिवासी
की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी तथा ये शारीरिक
 रूप से विशेष योग्य जन (Specially abled) है।

स्थान :

दिनांक :

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी
 के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण -पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....
 पुत्र/पत्नि/पुत्रीनिवासी
तहसील.....जिला.....
 अधिस्वीकृत पत्रकार है।

स्थान :

दिनांक :


निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
 अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

उक्त निर्धारित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से जारी करने का संदर्भ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित प्रति

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/प्राधिकृत
 अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना) KEY PLAN

KEY PLAN



बैंक ऑफ इण्डिया A/C 662122410000003
IFSC Code : BKID0006621

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
प्रथम प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं. दिनांक.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

मोबाईल नं.

रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना)

बैंक ऑफ इण्डिया A/C 662122410000003
IFSC Code : BKID0006621

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ के.डी.ए. को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

मोबाईल नं.

रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना)

बैंक ऑफ इण्डिया A/C 662122410000003
IFSC Code : BKID0006621

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

मोबाईल नं.

रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना)

बैंक ऑफ इण्डिया A/C 662122410000003
IFSC Code : BKID0006621

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

मोबाईल नं.

रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना)

| विवरण | रूपये | विवरण | रूपये | विवरण | रूपये | विवरण | रूपये |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| पंजीयन राशि <u>MIG-A</u> 7.5 X 15 =112.5 वर्ग मीटर | 254000/- | पंजीयन राशि <u>MIG-A</u> 7.5 X 15 =112.5 वर्ग मीटर | 254000/- | पंजीयन राशि <u>MIG-A</u> 7.5 X 15 =112.5 वर्ग मीटर | 254000/- | पंजीयन राशि <u>MIG-A</u> 7.5 X 15 =112.5 वर्ग मीटर | 254000/- |
| प्रक्रिया शुल्क डी.डी. नं./RTGS No. | 2,000/- | प्रक्रिया शुल्क डी.डी. नं./RTGS No. | 2,000/- | प्रक्रिया शुल्क डी.डी. नं./RTGS No. | 2,000/- | प्रक्रिया शुल्क डी.डी. नं./RTGS No. | 2,000/- |
| दिनांक...../...../..... | | दिनांक...../...../..... | | दिनांक...../...../..... | | दिनांक...../...../..... | |
| योग :- | 2,56,000/- | योग :- | 2,56,000/- | योग :- | 2,56,000/- | योग :- | 2,56,000/- |

अक्षरे रूपये दो लाख छपान हजार मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये दो लाख छपान हजार मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये दो लाख छपान हजार मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये दो लाख छपान हजार मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर

बैंक ऑफ इण्डिया A/C 662122410000003
IFSC Code : BKID0006621

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

प्रथम प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

नाम..... दिनांक.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

मोबाईल नं.

रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना)

बैंक ऑफ इण्डिया A/C 662122410000003
IFSC Code : BKID0006621

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ के.डी.ए. को प्रस्तुत करने हेतु)

नाम..... दिनांक.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

मोबाईल नं.

रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना)

बैंक ऑफ इण्डिया A/C 662122410000003
IFSC Code : BKID0006621

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

नाम..... दिनांक.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

मोबाईल नं.

रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना)

बैंक ऑफ इण्डिया A/C 662122410000003
IFSC Code : BKID0006621

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

नाम..... दिनांक.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

मोबाईल नं.

रामनगर स्पेशल (आवासीय योजना)

| विवरण | रूपये | विवरण | रूपये | विवरण | रूपये | विवरण | रूपये |
|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| पंजीयन राशि EWS 4.5 X 9 =40.5 वर्ग मीटर प्रक्रिया शुल्क 2,000/- डी.डी. नं./RTGS No. दिनांक...../...../..... योग :- | 45,000/- | पंजीयन राशि EWS 4.5 X 9 =40.5 वर्ग मीटर प्रक्रिया शुल्क 2,000/- डी.डी. नं./RTGS No. दिनांक...../...../..... योग :- | 45,000/- | पंजीयन राशि EWS 4.5 X 9 =40.5 वर्ग मीटर प्रक्रिया शुल्क 2,000/- डी.डी. नं./RTGS No. दिनांक...../...../..... योग :- | 45,000/- | पंजीयन राशि EWS 4.5 X 9 =40.5 वर्ग मीटर प्रक्रिया शुल्क 2,000/- डी.डी. नं./RTGS No. दिनांक...../...../..... योग :- | 45,000/- |

अक्षरे रूपये..... सैतालीस हजार रूपये मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये..... सैतालीस हजार रूपये मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये..... सैतालीस हजार रूपये मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर


अक्षरे रूपये..... सैतालीस हजार रूपये मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर

KOTA

FAIR

कोटा महोत्सव






किशोर सागर तालाब में स्थित जग मंदिर पैलेस



माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्रीमान् ओम बिरला जी द्वारा
शम्भूपुरा ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट नक्शे का अवलोकन करते हुए।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

Ph. : 0744 2500539

 kotault2014@gmail.com

KDA Kota Website - <http://lsg.urban.rajasthan.gov.in/KDA/#>